



बिहार गजट

सर्वसाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1906 (श०)

[सं० पटना 236] पटना, सोमवार, 23 अप्रील 1984

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

23 अप्रील 1984

सं० एल० जी० 2-015/83-लेज०-251-बिहार विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राष्ट्रपति 20 अप्रील 1984 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी नारायण,

सरकार के उप-सचिव।

[बिहार अधिनियम संख्या 10, 1984]

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984

बिहार राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्चतम स्तर की नैदानिक सेवाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिये सहायक पर्यवेक्षण तथा सतत शिक्षा का विकास करने और सामुदायिक चिकित्सा शास्त्र तथा संबद्ध विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाना देने के निमित्त एक संस्थान की स्थापना करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(क) यह अधिनियम इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 कहलाएगा ।

(ख) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

(ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ।

2. संस्थान के उद्देश्य ।—संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

- (1) उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य और चिकित्सीय देख-रेख की सुविधा प्रदान करने के लिये शीर्षस्थ केन्द्र का विकास करना ;
- (2) चिकित्सा सेवा की विभिन्न विद्या शाखाओं में उच्च-स्तर के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना ;
- (3) मेडिकल कॉलेज, जिन्हा और अनुमंडल अस्पतालों से समुचित संपर्क स्थापित करके और निर्देश-पद्धति (रेफरल सिस्टम) के जरिए राज्य की स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना ;
- (4) सतत शिक्षा कार्यक्रम का विकास करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करना ;
- (5) माननीय स्वास्थ्य की समस्याओं और देश के इस भाग में खास तौर से प्रचलित रोगों पर अनुसंधान करने के लिये रोग अनुसंधान केन्द्र का विकास करना ;
- (6) जनन जीव विज्ञान और जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन और उनका समाधान खोजने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान-केन्द्र का विकास करना ; और
- (7) सामुदायिक समस्याओं और आवश्यकताओं से संबद्ध मूल विज्ञानों में अनुसंधान के प्रशिक्षण का विकास करना ।

3. परिभाषाएं।—जबतक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

- (i) "शासक बोर्ड" से अभिप्रेत है संस्थान का शासक बोर्ड ;
- (ii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड का अध्यक्ष ;
- (iii) "निदेशक" से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक ;
- (iv) "कार्यकारी परिषद्" से अभिप्रेत है संस्थान की कार्यकारी परिषद् ;
- (v) "निधि" से अभिप्रेत है धारा-14 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि ;
- (vi) "संस्थान" से अभिप्रेत है इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ;
- (vii) "सदस्य" से अभिप्रेत है शासी बोर्ड का सदस्य ;
- (viii) "विहित" से अभिप्रेत है नियमावली द्वारा विहित ;
- (ix) "नियम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम ;
- (x) "विनियम" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम ;
- (xi) "परियोजना समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा संस्थान की परियोजना समिति ।

4. संस्थान का स्थापना और निगमन।—(1) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 के अधीन स्थापित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जायगा ; और इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व उक्त संस्थान के प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व उक्त संस्थान के प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

(2) संस्थान पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा जिसे चल और अचल संपत्ति अर्जित करने, धारित करने तथा निपटाने और संविदा करने की शक्ति होगी, तथा यह उक्त नाम से वाद चलाएगा और उस पर वाद चलाया जाएगा ।

(3) संस्थान की अवस्थिति और अधिकारिता।—संस्थान पटने में अवस्थित होगा और इसकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

5. शासक बोर्ड का गठन।—शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (1) मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण—पदेन-अध्यक्ष ।
- (2) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार—पदेन ।
- (3) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार सरकार—पदेन ।

- (4) सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार—पदेन ।
- (5) निदेशक, संस्थान बॉर्ड—पदेन सचिव ।
- (6) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा एक डमिक ग्रांफ मेडिकल स्पेसलिस्ट से नाम निर्देशित—पदेन ।
- (7) बिहार विधान-सभा में विरोधी दल का नेता—पदेन ।
- (8) बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों का वरीयतम प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल)—पदेन ।
- (9) भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, और स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा और शोध संस्थान, चंडीगढ़ का एक निदेशक।संकायाध्यक्ष (डीन) ।
- (10) भारतीय चिकित्सा शोध परिषद् का महानिदेशक।अपर महानिदेशक—पटना
- (11) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम निर्देशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि ।
- (12) भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
- (13) भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मेडिकल कौंसिल) की कार्यकारिणी द्वारा नाम निर्देशित उसका एक सदस्य ।
- (14) अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ;
- (15) अकादमी की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि ।
- (16) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक ख्याति-प्राप्त प्रबंध विशेषज्ञ ।
- (17) महानिदेशक।अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, नई दिल्ली—पदेन
- (18) नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय संघ द्वारा चुने गए भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय के तीन सदस्य ।
- (19) संस्थान के चार संकाय सदस्य, जिनमें दो आचार्य, एक सह-आचार्य और एक सहायक आचार्य होंगे और जो वरीयता के अनुसार बारी-बारी से दो वर्षों के लिये होंगे :

परन्तु इस धारा के उपबंधों के अनुसार शासक बोर्ड का गठन होने तक राज्य सरकार इस निमित्त गठित परियोजना समिति को शासक बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निदेश दे सकेगी ।

6. संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में घोषित किया जाना ।—इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एक उत्कृष्ट संस्थान होगा ।

7. सदस्यों की पदावधि और उनके बीच हुई रिक्तियां।—

- (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, सदस्य की पदावधि उसके नाम निर्देशन या चयन की तारीख से पांच वर्षों की होगी परन्तु धारा 5 के खंड (1 से 7, 10 एवं 17) के अधीन सदस्य की पदावधि उसके मूल पद से हटते ही समाप्त हो जाएगी।
- (2) पदेन-सदस्य की पदावधि उस समय तक बनी रहेगी जिस समय तक वह उस पद पर बना रहे जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य हुआ हो।
- (3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम निर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि तक बनी रहेगी जिस सदस्य के स्थान पर वह नाम निर्देशित या निर्वाचित हुआ।
- (4) जबतक राज्य सरकार अन्य ऐसा निर्देश न दे, पद छोड़नेवाला सदस्य अपने पद पर तबतक बना रहेगा जबतक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नाम निर्देशित या निर्वाचित न कर लिया जाय।
- (5) पद छोड़नेवाला सदस्य एक और पदावधि के लिये पुनः नाम निर्देशित या पुनः निर्वाचित किया जा सकेगा।
- (6) कोई भी सदस्य शासक निकाय के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से त्याग पत्र लिखकर पद त्याग कर सकेगा, लेकिन वह तबतक अपने पद पर बना रहेगा जबतक उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाय।

8. अध्यक्ष शासक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

9. विशेषज्ञों को बुलाए जाने संबंधी अधिकार।—बोर्ड का अध्यक्ष वित्तीय अभियंत्रण, चिकित्सीय, प्रशासनिक आदि विषयों पर परामर्श देने के लिये कार्यकारी परिषद् के माध्यम से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

10. बोर्ड की बैठकें।—बोर्ड राज्य सरकार द्वारा यथानियम समय और स्थान पर अपनी पहली बैठक करेगा और पहली बैठक के कार्य-संपादन के संबंध में ऐसे प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। इसके बाद बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर अपनी बैठकें करेगा और उन बैठकों के कार्य-संपादन के संबंध में ऐसे जैसा कि विहित किंवा जाय।

11. कार्यकारी परिषद् और अन्य समितियां ।—(1) संस्थान को एक कार्यकारी परिषद् होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) संस्थान का निदेशक,
- (ii) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार ;
- (iii) बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों का वह प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) जो शासक बोर्ड में हो ;
- (iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् (मेडिकल कोसिल ऑफ इंडिया) की कार्यकारिणी द्वारा नाम निर्देशित उसका एक सदस्य ;
- (v) चिकित्सा निकाय (मेडिकल फंकल्टी) के चार सदस्य जो बोर्ड में हों ;
- (vi) संस्थान का संकायाध्यक्ष (डीन) जो कार्यकारी परिषद् का सचिव होगा ;
- (vii) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार या उसका प्रतिनिधि ;
- (viii) संस्थान के त्वार संकाय सदस्य (फंकल्टी मेम्बर) जो बोर्ड में हों ;
- (ix) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों के बीच से नाम-निर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य ।

(2) संस्थान का निदेशक कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष होगा । कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद् के माध्यम से वित्तीय, अभिगंतव्य चिकित्सीय और प्रशासकीय विषयों पर परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा ।

(3) नियमावली द्वारा यथाविहित नियंत्रण और प्रतिबंधों के अध्याधीन, शासक बोर्ड संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये अथवा संस्थान द्वारा यथानिर्देशित किसी विषय की जांच करने या उसपर रिपोर्ट या सलाह देने के लिये उतनी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितना वह ठीक समझे ।

(4) स्थायी समिति में केवल बोर्ड के सदस्य रहेंगे, किन्तु तदर्थ समिति में ऐसे भी व्यक्ति लिये जा सकेंगे जो बोर्ड के सदस्य न हों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या उसकी कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी ।

(5) कार्यकारी परिषद् के ऐसे अध्यक्ष और सदस्य तथा स्थायी समिति या तदर्थ समिति के ऐसे अध्यक्ष और सदस्य, जो राज्य सरकार के सेवक न हों उतना भत्ता लेंगे जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाय ।

12. संस्थान के निदेशक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति आदि ।—(1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जो संस्थान का निदेशक

कहलाएगा। निदेशक की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा की जायगी जिसमें निम्नलिखित रहेंगे :—

- (i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार—अध्यक्ष ;
- (ii) महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य ;
- (iii) विकास आयुक्त, बिहार सरकार—सदस्य ;
- (iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसका नाम निर्देशित—सदस्य ;
- (v) आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार—सदस्य-सचिव।

टिप्पणी—महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार चयन समिति का अध्यक्ष और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार उसका सदस्य-सचिव होगा। चयन, भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, राज्य सरकारों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पी० जी० आई०, चंडीगढ़, वाराणसी इंस्टीच्यूट, त्रिवेन्द्रम इंस्टीच्यूट, आदि जैसे भारत प्रसिद्ध संस्थाओं के निदेशकों के बीच से मांगे जाने वाले नामनिर्देशन की प्रक्रिया द्वारा किया जायगा। समिति योग्यता-क्रम से तीन नामों की सूची तैयार करेगी, जिनमें से एक शासी निकाय के अनुमोदन से निदेशक के रूप में नियुक्त किया जायगा। यह नियुक्ति सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित की जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी सक्षम व्यक्ति को, परियोजना समिति की सिफारिश पर, अधिक-से-अधिक छह महीने के लिये या धारा-12 की उप-धारा (2) के अनुसार इस निमित्त नियमित निदेशक की नियुक्ति हो जाने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, संस्थान का निदेशक नियुक्त कर सकेगी।

(2) निदेशक, शासक बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) निदेशक ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किए जायें या जो बोर्ड अथवा कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे सौंपे जायें।

(4) विहित किए जाने वाले निदेशकों के अध्यक्षीन, बोर्ड राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अनुमोदन से उतने पदों का सृजन और उतने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा कि उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक ही। स्वास्थ्य विभाग ऐसे प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट स्वीकृत बजट उपबंधों के अन्तर्गत ऐसा अनुमोदन प्रदान करेगा।

(5) संस्थान का निदेशक और अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी उतने वेतन और भत्तों के हकदार होंगे तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामला के संबंध में ऐसी सेवा-शर्तों से शासित होंगे जैसा कि विहित किया जाए।

13. संस्थान को कानूनी अनुदान।—राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान-मंडल द्वारा बनायी गई विधि के जरिए विनियोग करके, संस्थान को हरेक वित्तीय वर्ष में उतनी धन राशि का भुगतान ऐसी रीति से कर संवंगी जैसा कि सरकार इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

14. संस्थान की निधि।—(1) संस्थान की एक निधि होगी जिसमें निम्न-लिखित राशियां जमा की जायेंगी :—

- (क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया सभी धन ;
- (ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार (चाज) ;
- (ग) संस्थान को अनुदान, उपहार, दान उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में प्राप्त सभी धन ; और
- (घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) निधि में आकलित सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा अथवा ऐसी रीति से लगाया जाएगा जैसा कि बोर्ड निर्णय करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान का खर्च पूरा करने में किया जायगा जिसमें उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में होने वाला खर्च भी शामिल है।

15. संस्थान का बजट।—संस्थान प्रत्येक वर्ष, नियमों द्वारा विहित फारम में और समय पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, उपलब्ध साधन-स्रोत के भीतर बजट तैयार करेगा जिसमें संस्थान का प्राक्कलित आय-व्यय दिखलाया रहेगा तथा शासक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से पारित कर दिए जाने के बाद वह (संस्थान) उसकी उतनी प्रतियां राज्य सरकार को भेज देगा जैसा कि विहित किया जाय।

16. लेखा और अंकेक्षण—(1) संस्थान समुचित लेखा और अन्य सम्बद्ध अभिलेख रखेगा तथा तुलना-पत्र सहित वार्षिक लेखा-विवरण ऐसे फारम में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

(2) संस्थान के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाएगा और ऐसे अंकेक्षण पर महालेखाकार द्वारा किये गये किसी भी खर्च का भुगतान संस्थान करेगा।

(3) महालेखाकार या संस्थान के लेखों के अंकेक्षण के लिये उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को अंकेक्षण के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा जो महालेखाकार को सरकारी लेखा-अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त

रहता है और विशेषकर उसे लेखा-बहियां, संबद्ध भाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र की मांग करने तथा संस्थान और साथ-साथ संस्थान द्वारा स्थापित और अनुरक्षित संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संस्थान का लेखा, उसपर दी गई अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार उसे राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

17. वार्षिक रिपोर्ट।—संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और यथाविहित फारम में तथा तारीख को या उसके पहले अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष उपस्थापित करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

18. पेंशन, भविष्य निधि और उपादान।—संस्थान के कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समान कोटि के कर्मचारियों को मिलने-वाली पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और उपादान के उस रीति से और उन शर्तों के अधीन हकदार होंगे जैसा कि निहित किया जाए।

संस्थान का कोई कर्मचारी संस्थान में पदभार ग्रहण करने के दो वर्षों के भीतर लिखित घोषणा देकर अंशदायी भविष्य निधि के लिये विकल्प दे सकेगा और उस दशा में वह पेंशन और सामान्य भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।

अंशदायी भविष्य निधि इस निमित्तविहित नियमों द्वारा शासित होगी।

19. संस्थान के आदेशों एवं लिखितों का अधिप्रमाणन।—संस्थान के सभी आदेश एवं निर्णय निदेशक या इस निमित्त शासक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे और अन्य सभी लिखित निदेशक या इस निमित्त कार्यकारी परिषद् द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

20. रिक्तियां, आदि के कारण कार्य तथा कार्यनादियों का अविधिमान्य होना।—इस अधिनियम के अधीन संस्थान, कार्यकारी परिषद् या किसी स्थायी अथवा तदर्थ समिति द्वारा दिये गए आर्य या की गई कार्यवाही पर इस कारण आपत्ति नहीं की जाएगी कि संस्थान बोर्ड, कार्यकारी परिषद् या ऐसी स्थायी अथवा तदर्थ समिति में कोई रिक्ति या उससे गठन में कोई बृष्टि है।

21. स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, आदि प्रदान करने की शक्ति।—संस्थान को मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, 1933 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सीय डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां (एकेडेमिक डिस्टिंक्शन) प्रदान करने की शक्ति होगी।
22. विवरणी एवं सूचनायें।—संस्थान राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी एवं अन्य सूचनायें भेजेगा जिनकी सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।
23. परियोजना समिति के कार्यकाल का निर्धारण।—इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा गठित परियोजना समितियां उस समय और तारीख तक काम करती रहेंगी जैसा कि राज्य सरकार विनिश्चित करे।
24. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।—संस्थान उन निदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के कारगर प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे निर्गत किये जायें।
25. संस्थान एवं राज्य सरकार के बीच विवाद।—यदि संस्थान द्वारा अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में संस्थान और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
26. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार संस्थान से परामर्श करके शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। परन्तु इस धारा के अधीन पहली बार नियम बनाते समय संस्थान से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु राज्य सरकार संस्थान के वैसे किसी सुझाव पर विचार करेगी जो नियम बन जाने के पश्चात् ऐसे नियम के संशोधन के संबंध में दिया जाय।
- (2) विशेषकर और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित किसी एक या सभी विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा:—
- (क) धारा 5 के खंड (6) के अधीन सदस्यों के नाम निर्देशन की रीति;
- (ख) धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन स्थायी तथा तदर्थ समितियों को भरने तथा गठन के संबंध में नियंत्रण एवं प्रतिबन्ध ;

- (ग) संस्थान के सदस्यों की सेवा शर्तों तथा उनके बीच होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति और पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;
- (घ) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं निष्पादित किये जाने वाले कार्य ;
- (ङ) संस्थान के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो ;
- (च) संस्थान द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और ऐसी नियुक्ति की रीति ;
- (छ) संस्थान द्वारा वजट एवं रिपोर्ट तैयार करने का फारम और समय तथा राज्य सरकार को अप्रसारित की जाने वाली प्रतियों की संख्या ; और
- (ज) कोई अन्य विषय जिसे नियम द्वारा विहित किया जाना हो ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र बिहार राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे ।

27. विनियम बनाने की शक्ति—(1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को न कार्यान्वित करने के लिये, सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगा । ऐसे विनियमों में निम्नलिखित उपबन्ध किये जा सकेंगे :—

- (क) संस्थान की पहली बैठक से मित्र बैठकें बुलाना और करना, बैठक का समय एवं स्थान, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और कोरम पूरा करने के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ;
- (ख) शासी निकाय और स्थायी एवं तदर्थ समितियों के गठन की रीति, और शासी निकाय एवं स्थायी तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों की पदावधि तथा उनके बीच होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति ;
- (ग) शासी निकाय के और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो ;
- (घ) शासी निकाय तथा स्थायी एवं तदर्थ समितियों के कार्य-संचालन में, शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ङ) संस्थान द्वारा नियुक्त शिक्षकों सहित संस्थान के निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदावधि, वेतन-भत्ते एवं अन्य शर्तें ;
- (च) शासी निकाय के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य ;
- (छ) संस्थान के निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य ;

- (ज) संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध ;
- (झ) संस्थान द्वारा दी जानेवाली डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां (एकेडेमिक डिस्टिंक्शन) एवं उपाधियां (टाइटल) ;
- (ञ) संस्थान में सृजित किये जानेवाले आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर) और प्राध्यापक (लेक्चरर) के तथा अन्य पद और आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर) या प्राध्यापक (लेक्चरर) के इन पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तित्व ;
- (ट) संस्थान द्वारा मांगे गए और प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्रभार ;
- (ठ) संस्थान के गदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ जिस रीति से एवं जिन शर्तों के अधीन पेंशन एवं भविष्य निधि जारी रखी जायगी, वह रीति तथा शर्त ; और
- (ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियम बनाये जायें ।

28. निरसन और व्यावृत्ति।—(1) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वितीय अध्यादेश, 1983 (बिहार अध्यादेश सं० 4/84) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

23 अप्रील 1984

सं० एल० जी० 2-015/83-लेज०-252-विधि विभाग की अधिरूचना संख्या 251-लेज० दिनांक 23 अप्रील 1984 द्वारा यथा प्रकाशित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम संख्या 10, 1984) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :-

[Bihar Act No. 10, 1984]

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT.
1984

AN

ACT

TO ESTABLISH AN INSTITUTION IN THE STATE OF BIHAR WITH A VIEW TO DEVELOP CLINICAL SERVICES IN SUPER SPECIALITIES OF THE HIGHEST STANDARD, A SYSTEM OF SUPPORTIVE SUPERVISION AND CONTINUED EDUCATION FOR THE MEDICAL AND HEALTH FUNCTIONARIES, AND TO PROMOTE SERVICE, RESEARCH AND EDUCATION IN THE FIELD OF COMMUNITY, MEDICINE AND ALLIED SUBJECTS.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the thirty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. *Objects of the Institute.*—The objects of the Institute shall be —

- (i) to develop an apex centre for delivery of health and medical care of highest standard;
- (ii) to train specialists of high order in different branches of medical services;
- (iii) to improve the health services in the State through appropriate linkages and referral system with Medical Colleges and District and Subdivisional hospitals;
- (iv) to develop the continued education programme and award degrees, diplomas and certificates and Post-graduate degrees;
- (v) to develop clinical research centre for conducting investigation on the problems of human health and diseases peculiar to and prevalent in this part of the country;

- (vi) to develop Community Health Research Centre to study and find out solutions to the problems of health of the community with particular emphasis on reproductive biology and population control; and
- (vii) to develop research and training in basic sciences relevant to the problems and needs of the community.

3. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires :—

- (i) 'Board of Governors' means the Board of the Governors of the Institute;
- (ii) 'Chairman' means the Chairman of the Board of Governors;
- (iii) 'Director' means the Director of the Institute;
- (iv) 'Executive Council' means the Executive Council of the Institute;
- (v) 'Fund' means the fund of the Institute referred to in section 14;
- (vi) 'Institute' means Indira Gandhi Institute of Medical Sciences;
- (vii) 'Members' means Member of the Board of Governors;
- (viii) 'Prescribed' means prescribed by rule;
- (ix) 'Rule' means Rules framed by the State Government under this Act;
- (x) 'Regulation' means Regulations framed by the Board of Governors;
- (xi) 'Project Committee' means Project Committee of the Institute as constituted by the State Government.

4. *Establishment and incorporation of the Institute.*—(i) The Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, established under the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Ordinance, 1983, shall be deemed to have been established under this Act, and the actions taken by the State Government for the administration of the said Institute, before the enforcement

of the Act. shall be deemed to have been legally taken under the Act.

(ii) The Institute shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract, and shall be the said name sue and be sued.

(iii) *Location and Jurisdiction of the Institute.*—The Institute shall be located in Patna and its jurisdiction shall extend to the whole of State of Bihar.

5. *Composition of the Board of Governors.*—The Board of Governors shall consist of the following members, namely :—

- (1) Minister of Health and Family Welfare—*Ex officio* Chairman.
- (2) Secretary, Department of Health, Government of Bihar—*Ex-officio*.
- (3) Director-in-Chief of Health Services, Government of Bihar—*Ex officio*.
- (4) Secretary, Department of Finance, Government of Bihar—*Ex-officio*.
- (5) Director of the Institute—*Ex-officio* secretary of the Board.
- (6) Executive Council nominee of Indian Medical Association from Academy of Medical Speciality—*Ex-officio*.
- (7) Leader of the Opposition of Bihar Legislative Assembly—*Ex officio*.
- (8) Senior most Principal of the Medical Colleges of Bihar—*Ex-officio*.
- (9) One of the Director/Deans from A. I. I. M. S., New Delhi and Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh nominated by the Government of India.
- (10) Director-General/Addl. D.-G., Indian Council of Medical Research, New Delhi—*Ex-officio*.

- (11) One of the representatives of University Grant Commission nominated by the Chairman, U. G. C.
- (12) One representative of the Ministry of Science and Technology nominated by Government of India.
- (13) One member from Medical Council of India to be nominated by their Executive.
- (14) One representative from Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, nominated by C. S. I. R. of India.
- (15) One representative from National Academy of Medical Sciences to be nominated by the Council of Academy.
- (16) One management expert of outstanding repute to be nominated by the State Government.
- (17) Director-General/Addl. D.-G. of Health Services—*Ex-officio*.
- (18) Three members from the Medical Faculty of the Universities of India to be selected through Association of Universities, New Delhi.
- (19) Four faculty members of the Institute consisting of two Professors, one Associate Professor and one Assistant Professor according to seniority on rotation for two years :

Provided that till such time as the Board of Governors is constituted in accordance with the provisions of this section, the State Government may direct the Project Committee constituted in this behalf to exercise powers and discharge functions of the Board of Governors.

6. *Declaration of Institute as an Institute of Excellence.*—It is hereby declared that the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences shall be an Institute of Excellence.

7. *Terms of office and vacancies of members.*—(1) Save as otherwise provided in this section, the term of office of a member shall be five years from the date of his nomination or selection; Provided that the term of office of a member under clauses (1) to (8), (10) and (17) of section 6 shall count as his term of office as long as he continues to hold the post.

(2) The term of office of an *Ex-officio* member shall continue as long as he holds the office by virtue of which he is such member.

(3) The term of office of a member nominated or selected to fill casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated or elected.

(4) An outgoing member shall, unless the State Government otherwise direct, continue in office until another person is nominated or elected as a member in his place.

(5) An outgoing member shall be eligible for renomination or re-election for another one term.

(6) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Chairman of the Board but he shall continue in office until his resignation is accepted.

8. The Chairman shall preside over the meeting of the Board of Governors.

9. *Power to invite experts.*—The Chairman of the Board may invite experts through the Executive Council to advise him on financial, engineering, medical, administrative aspects, etc.

10. *Meeting of the Board.*—The Board shall hold its first meeting at such time and place as may be appointed by the State Government and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by the Government and thereafter the Board shall meet at such times and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

11. *Executive Council and other Committees.*—(1) There shall be an Executive Council of the Institute which shall consist of the following members :—

- (i) Director of the Institute.
- (ii) Director-in-Chief, Health Services, Government of Bihar.

-
- (iii) Principal of the Medical Colleges of Bihar who is on the Governing Body.
 - (iv) One member from Medical Council of India to be appointed by their Executive.
 - (v) Four members of the Medical Faculty who are on the Board.
 - (vi) Dean of the Institute/Secretary to the Executive Council.
 - (vii) Secretary to the Government of Bihar, Health Department or his representative.
 - (viii) Four Faculty members of the Institute on Board.
 - (ix) One member to be nominated by the Chairman of the Board from among the members of the Board.

(2) The Director of the Institute shall be Chairman of the Executive Council.

The Chairman of the Executive Council may invite experts through the Executive Council to advise him on financial, engineering, medical and administrative aspects etc.

(3) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by rules, the Board of Governors may constitute as many standing committees and *ad hoc* committees as it thinks fit for exercising any power or discharging any function of the Institute or for enquiring into or reporting or advising upon any matter which the Institute may refer to it.

(4) The standing committee shall consist exclusively of members of the Board, but *ad hoc* committee may include persons who are not members of the Board. But the number of such persons shall not exceed one half of its total membership.

(5) The Chairman and members of the Executive Council and the Chairman and members of a standing committee or an *ad hoc* committee who are not State Government officials shall receive such allowances, if any, as may be prescribed by the Government.

12. *Staff of the Institute.*—(1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute who shall be designated as the Director of the Institute. The Director shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Selection Committee consisting of the following :—

- (i) Director General of Health Services, Government of India.
- (ii) Director-General, I. C. M. R.
- (iii) Development Commissioner, Government of Bihar.
- (iv) Chairman, U. G. C. or his nominee.
- (v) Secretary to the Government of Bihar, Health Department.

NOTE. ¹Director-General, Health Services, Government of India shall be the Chairman and Secretary, Health Department, Government of Bihar shall be the Member-Secretary of the Selection Committee. Selection will be made by the process of nominations to be invited from amongst the Principals of all Medical Colleges in India, Directors, Health Services of State Governments and Directors of Institute of all India repute like All India Institute of Medical Sciences, P.-G. I., Chandigarh, Varanasi Institute, Trivendrum Institute etc. The Committee shall prepare a panel of three names, in order of merit, out of which one shall be appointed as Director on the approval of the Governing Body which will be formally notified by the Government :

Provided that the State Government may appoint any competent person, on recommendation of the Project Committee, as Director of the Institute for a maximum period of six months only or till such period as a regular Director is not appointed in this behalf in accordance with sub-section (2) of section 12, whichever of the two being earlier.

(2) The Director shall act as the Secretary to the Board of Governors.

(3) The Director shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulation or as may be delegated to him by the Board or by the Executive Council.

(4) Subject to the rules to be prescribed, the Board may create posts and appoint such number of officers and employees as may be necessary for the exercise of its powers and discharge of its functions with prior approval of the State Government in the Health Department, which would accord such approval within the specific sanctioned budgetary provisions for such purpose.

(5) The Director and other officers and employees of the Institute shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may be prescribed.

13. *Statutory Grants to the Institute.*—The State Government may under appropriation made by State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money and in such manner as may be considered necessary by that Government for the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act.

14. *Fund of the Institute.*—(1) The Institute shall maintain fund to which shall be credited—

- (a) all money provided by the State Government;
- (b) all fees and other charges received by the Institute;
- (c) all money received by the Institute by way of grants; gifts, donations, by factions or transfers; and
- (d) all money received by the Institute in any other manner or from any other sources.

(2) All money credited to the Fund shall be deposited in such Banks or invested in such manner as the Board may decide.

(3) The Funds shall be applied toward the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions.

15. *Budget of the Institute.*—The Institute shall prepare in such form and at such time every year as may be prescribed by rules a budget within its resources in respect of the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and shall forward the same to the State Government after it has been duly passed by the Board of Governors and forward such number of copies thereof to the State Government as may be prescribed.

16. *Accounts and Audit.*—(1) The Institute shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statements of account including the balance sheet in such form as the State Government may by rules prescribe.

(2) The accounts of the Institute shall be audited by the Accountant-General and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Institute.

(3) The Accountant-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Institute shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant-General has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books of accounts in connection with vouchers and other documents and papers to inspect the office of the Institute as well as the Institutions established and maintained by it.

(4) The accounts of the Institute as certified by the Accountant-General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and that Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

17. *Annual Report.*—The Institute shall prepare every year a report of its activities during that year and submit the

reports to the State Government in such form on or before such date as may be prescribed by rules and copy of this report shall be laid before both the Houses of Legislature.

1. *Pension, Provident Fund and Gratuity.*—The employees of the Institute shall be entitled to such pension, general provident fund and gratuity as per rules of the State Government for similar categories of the State Government employees in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

An employee of the Institute may opt for contributory provident fund, after giving declaration in writing within two years of his joining the Institute and in that case he shall not be entitled to pension and general provident fund.

Contributory provident fund shall be governed by such rules as to be prescribed in this behalf.

19. *Authentication of the orders and instruments of the Institute.*—All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or any other Officer authorized by the Board of Governors in this behalf and all other instruments shall be authenticated by the signature of the Director or any other Officer of the Board authorized by the Executive Council in this behalf.

20. *Act and proceedings not to be invalidated by vacancies etc.*—No act done or proceedings taken by the Institute, Executive Council or any standing or *ad hoc* committee under this Act shall be questioned on the ground of the existence of any vacancy in, or defect in the Constitution of the Institute/Board, Executive Council or such standing or *ad hoc* committee.

21. *Power to grant Post-graduate degree, diploma etc.*—The Institute shall have power to grant post-graduate medical degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the provisions of Medical Council of India Act, 1933 and the Rules and Regulations made thereunder.

22. *Returns and Informations.*—The Institute shall furnish to the State Government such reports, returns and other information as the Government may require from time to time.

23. *Fixation of the tenure of the Project Committee.*—Notwithstanding the provisions contained herein the Project Committee constituted by the State Government in this behalf shall continue to function till such time and date as may be decided by the State Government.

24. *Control by the State Government.*—The Institute shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of his Act.

25. *Disputes between the Institute and the State Government.*—If in the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act, any dispute arises between the Institute and the State Government the decision of the State Government in such dispute shall be final.

26. *Power to make rules.* (1) The State Government after consultation with the Institute may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act particularly with respect to the following :—

Provided that consultation with the Institute shall not be necessary on the first occasion of the making of rules under this section, but the State Government shall take into consideration any suggestions which the Institute may make in relation to the amendment of such rules after they are made.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the manner of nomination of members under clause (6) of section 5 ;

- (b) the control and restriction in relation to the constitution of standing and *ad hoc* committee under subsection (5) of section 11 ;
- (c) the conditions of service of the procedure to be followed by and the manner of filling up vacancies among members of the Institute ;
- (d) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairman of the Institute ;
- (e) the allowances, if any, to be paid to the Chairman and members of the Institute ;
- (f) the number of officers and employees that may be appointed by the Institute and the manner of such appointment ;
- (g) the form in which and the time at which the budget and reports shall be prepared by the Institute and the number of copies thereof to be forwarded to the State Government ;
- (h) any other matter which is to be prescribed by rules.

(3) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, shall be laid before both Houses of the Bihar State Legislature.

27. *Powers to make Regulation.* The Institute may, with the previous approval of the Government, make regulations consistent with the provisions of this Act, to carry out the purposes of this Act. Such regulations may provide for—

- (a) the summoning and holding of meetings other than the first meeting of the Institute, the time and place where the such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum ;

- (b) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairman of the Institute and the Chairmen of the Governing Body;
- (c) the allowances, if any, to be paid to the Chairman and the members of the Governing Body and of standing and *ad hoc* committees;
- (d) the procedure to be followed by the Governing Body and standing and *ad hoc* committees in the conduct of their business, exercise of their powers and discharge of their functions;
- (e) the tenure of office, salaries and allowances and other conditions of service of the Director and other officers and employees of the Institute including teachers appointed by the Institute;
- (f) the powers and duties of the Chairmen of the Governing Body;
- (g) the powers and duties of the Director and other officers and employees of the Institute;
- (h) the management of the properties of the Institute;
- (i) the degrees, diplomas and other academic distinctions and titles which may be granted by the Institute;
- (j) the professorship, readership, lecturership and other posts which may be instituted and persons who may be appointed to such professorship, readership, lecturership and other posts;
- (k) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute;
- (l) the manner in which and the conditions subject to which pension and provident fund may be contributed for and on the behalf of officers, teachers and other employees of the Institute;

(m) any other matter for which regulations may be made under the provisions of this Act.

28. *Repeal and saving.* (1) The Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Second Ordinance, 1983 (Bihar Ordinance 4, 1984) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on that date on which such thing or action was done or taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, राजकीय शैक्षणिक सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण), 236—लाईनों—823—650—के 0 लाइन



बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 83)

24 मार्च 1929 (श०)
पटना, बुधवार, 13 फरवरी 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 फरवरी 2008

सं०-एल०जी०-1-031/2007/लेज-24—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—
(बिहार अधिनियम 09, 2008)

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना.— यतः इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम 10, 1984) पारित होने का उद्देश्य इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम का विकास करना और डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करना था,

यतः, जबकि संस्थान कई कारणों से वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं रही है;

यतः, जबकि बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय देख-रेख की सुविधा प्रदान करने में उच्च स्तरीय विकास के लिये सदैव प्रतिबद्ध है;

यतः, जबकि यह आवश्यक समझा जा रहा है कि इस संस्थान को पूर्ण कालिक चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाय तथा वर्तमान चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सुदृढिकरण किया जाय ताकि अतिविशिष्ट संस्थान की स्थापना हो सके;

यतः, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाय।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-2 का संशोधन—(1) अधिनियम की धारा-2, में खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (viii) जोड़ा जायेगा:—

"(viii) चिकित्सा धारा में पूर्व स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर, पोस्ट डॉक्टरेल एवं डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा देने के लिये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना।"

3. बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-5 का प्रतिस्थापन--अधिनियम की धारा-5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:--

शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

(1) मंत्री, स्वास्थ्य	--	पदेन	--	अध्यक्ष
(2) बिहार विधान-सभा के विरोधी दल का नेता	--	पदेन	--	सदस्य
(3) सचिव, स्वास्थ्य	--	पदेन	--	सदस्य
(4) सचिव, वित्त	--	पदेन	--	सदस्य
(5) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	--	पदेन	--	सदस्य
(6) संस्थान के निदेशक	--	पदेन	--	बोर्ड के सदस्य सत्रिव
(7) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं	--	पदेन	--	सदस्य
(8) बिहार के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का वरीयतम प्राचार्य (प्रिन्सिपल)।	--	पदेन	--	सदस्य

(9) संस्थान के चार संकाय सदस्य, जिसमें दो प्राध्यापक, एक सह प्राध्यापक और एक सहायक प्राध्यापक वरीयता के अनुसार बारी-बारी से दो वर्षों के लिये होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चार सदस्य जो चिकित्सा सेवा से होंगे।

(2) अधिनियम के असंशोधित विद्यमान शासी बोर्ड संशोधित धारा-5 के अनुसार बोर्ड गठित करने वाली अधिसूचना के निर्गमन के बाद विघटित हो जायेगा। यद्यपि भी, अत्यावश्यकताओं में अध्यक्ष जब कभी चाहें अल्प सूचना देकर बोर्ड की बैठक आहूत कर सकेंगे।

4. अधिनियम की धारा-7 का संशोधन--धारा-7 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--

"(1) अधिनियम की धारा-5 के अनुसार गठित शासक बोर्ड की पदाविधि बोर्ड गठन के पश्चात् प्रथम बैठक से 5 वर्षों की होगी:

परन्तु राज्य सरकार शासक बोर्ड के किसी भी सदस्य को पदाविधि पूरा होने के पूर्व निम्नलिखित आधार पर हटाने हेतु सक्षम होगी:--

(क) किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा वह सदस्य के दिवालिया घोषित किया गया है।

(ख) जहाँ कोई सदस्य नैतिक अछमता अंतर्प्रस्त करने वाले किसी दंडिक अपराध सिद्ध हो जिसमें अनुसंधान के पश्चात् चार्ज सीट दिया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो।

(ग) सदस्य संस्थान के हित में हानिकारक कार्य करता हो।

(घ) यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य का कार्य अस्वस्थता, किसी अनुचित आचरण में सलिप्त रहने, वित्तीय अनियमितता आदि जैसे किसी कारण से शासन बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे बने रहने के अनुपयुक्त करता हो अथवा किसी ऐसे कारण/कारणों से जो शासक बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए उसे अयोग्य करता हो:

परन्तु उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को हटाने जाने के पूर्व उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर दिया जायेगा।"

5. बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-10 का प्रतिस्थापन--धारा-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:--

(1) साधारणतः बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदित स्थल पर बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में ऐसे कारबार के संबन्धों के संबंध में ऐसी प्रक्रिया/नियमों का प्रालन करेगा जो विहित किये गये हों।

6. अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--

(1) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर कार्यकारिणी परिषद् का गठन किया जायेगा।

(i) संस्थान का निदेशक -- पदेन

(ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा या अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा -- पदेन

(iii) चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य (प्रिन्सिपल) जो शासक बोर्ड का सदस्य हो। -- पदेन

(iv) संस्थान का संकायाध्यक्ष -- पदेन

(v) शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य

(vi) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि

(2) संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने पर कार्यकारी परिषद्, तदर्थ समितियाँ सहित सभी विद्यमान समितियाँ भंग हो जायेगी।

7. बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-12 का संशोधन।--अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--

राज्य सरकार निदेशक की नियुक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से, चयन द्वारा करेगी। निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति होगी:--

- | | | |
|---|----|---------|
| (1) विकास आयुक्त | -- | अध्यक्ष |
| (2) सचिव, स्वास्थ्य विभाग | -- | सचिव |
| (3) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार सरकार | | |
| (4) चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध दो विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे। | | |
| (5) निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना। | | |
| (6) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को एक वरीयतम प्राध्याप्य। | | |

निदेशक की नियुक्ति 5 वर्ष की नियत अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक; जो भी पहले हो, के लिये होगी:

परन्तु बाहर जाने वाले निदेशक पुनः निदेशक के पद पर 5 वर्षों के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे यदि वे 65 वर्ष की आयु पूरा नहीं किये हों।

सरकार निदेशक को उसके कार्यकाल के भीतर उन आधारों पर हटाने अधिकार आरक्षित रखती है जिन आधारों पर अधिनियम की धारा-7 में उपबंध के अनुसार शासक बोर्ड के सदस्य को हटाया जा सकता हो।

8. व्यावृत्ति।--वर्तमान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम में किसी संशोधन के होते हुए भी शासक बोर्ड कार्यकारी परिषद् का अधिनियम के अधीन गठित किसी भी समिति द्वारा लिये गये सभी विनिश्चय तबतक विधिमान्य होंगे जबतक कि धारा-5 के अधीन अधिसूचित शासक बोर्ड उसे उपांतरित, परिवर्तन, कमी अथवा संशोधित न करे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

13 फरवरी, 2008

सं०-एल० जी०-1-031/2007/लेब-25--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2008 को अनुमत इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 09, 2008]

THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2007

AN
ACT

TO AMEND THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 1984

Preamble.— Whereas Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984 (Bihar Act No.10 1984) hereinafter referred to as the act has been enacted to establish Indira Gandhi Institute of Medical Sciences with an object, *inter-alia*, to develop centre for delivery of health and medical care of highest standard and further to develop continued education programme and award degree diplomas and certificates and post-graduate degrees;

AND, WHEREAS the institute has not achieved the desired objectives for many reasons;

AND, WHEREAS the state Government is committed to improve medical education and provide medi-care of high standard,

AND WHEREAS it is considered necessary to convert the institute into a full fledged medical college and also to improved and strengthen existing infrastructure of health and medi-care with a view to establishing it as an institute of excellence.

AND WHEREAS to achive above objective it is felt expedient to amend the Act.

BE it enacted by the legislature of the State of Bihar in the fiftyeight year of Republic of India as follows:—

1. *Short Title and commencement.*—(1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences.(Amendment)Act,2007

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section-2 of Bihar Act 10, 1984.*— In Section-2 of the Act following clause (viii) shall be added after clause (vii):—

"(viii) to establish a medical college for imparting education of undergraduate, post graduate, post doctoral and diploma course in medical stream".

3. *Substitution of section-5 of Bihar Act, 10, 1984.*—SECTION-5 OF THE ACT SHALL BE SUBSTITUTED BY THE FOLLOWING:—

"The Board of Governors shall consist of the following members:—

(1) Minister of Health,	Ex-officio	Chairman
(2) Leader of opposition of Bihar Assembly	Ex-officio	Member
(3) Secretary Health,	Ex-officio	Member
(4) Secretary Finance,	Ex-officio	Member
(5) Director Medical Education/ Additional Director Mø1.Education	Ex-officio	Member
(6) Director of the Institute,	Ex-officio	Secretary of the board
(7) Director-in-Chief of Health Services	Ex-officio	Member
(8) Senior most Principal of Govt. Medical colleges of Bihar,	Ex-officio	Member

(9) Four faculty members of the institute Consisting of 2 professors, one Associate Professor and one Assistant Professor according to seniority on rotation for every two years.

(10) Four members to be nominated by the State Government from amongst persons of medical profession.

(2) The existing Board of Governors constituted under unamended provision of the Act, shall stand dissolved after issuance of Notification constituting the board in accordance with amended section-5.

4. *Amendment of Section 7 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section 7 of the Act shall be substituted by the following:—

"(1) The term of Board of Governors Constituted in accordance with Section 5 shall be five years from its first meeting after constitution:

Provided that the State Government shall be competent to remove any one of the members of the Governing Body before expiry of the terms of office of such members on the grounds:—

(a) Such member is declared an insolvent by a competent Court/authority.

(b) Such member is accused of any criminal offense involving moral turpitude where in which after investigation charge-sheet has been submitted and competent court has taken cognizance of the offence.

(c) Such member acts in a manner detrimental to the interest of the institute.

(d) If in the opinion of the State Government his action has rendered him unsuitable to continue as a member of the Board of Governors for any reason such as ill health, indulging in unfair practice, involved in any financial irregularity etc. or such other reason/reasons which renders him unfit to continue as a member of the Board:

Provided that before removing such member under Section (1) he shall be afforded opportunity to explain his position."

5. *Substitution of Section-10 of Bihar Act 10, 1984.*—Section-10 shall be substituted by the following:—

"The Board shall ordinarily meet quarterly at a place approved by the chairman of the Board of Governors and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed. However, in exigencies, the Chairman may call a meeting at short notice as and when desired."

6. *Amendment of Section-11 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section-11 shall be substituted by the following:-

(1) The Executive council shall be constituted by the Board consisting of the following members:—

- | | |
|--|--------------|
| (i) Director of the Institute | Ex-officio |
| (ii) Director Medical Education or
Additional Director Medical Education. | Ex-officio |
| (iii) Medical College Principal Member of the
Board of Governors. - | Ex-officio |
| (iv) Dean of the Institute | (Ex-officio) |
| (v) One member to be nominated by the Chairman of Board of Directors.. | |
| (vi) Health Secretary, Govt. of Bihar or his Representative. | |

(2) All existing committees including Executive council, adhoc committees; shall stand dissolved on coming into force of amending.

7. *Amendment of Section-12 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section-12 of the act shall be substituted by the following:—

"(1) The State Govt. shall appoint the Director by selection through open advertisement. There shall be a selection committee consisting of the following members:—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Development Commissioner | Chairman |
| (2) Secretary Health | Secretary |
| (3) Director in Chief Health Services Govt. of Bihar. | |
| (4) Two experts from the medical profession to be nominated by the state Govt. | |
| (5) Director, Indira Gandhi Institute of Cardiology, Patna. | |
| (6) One senior most principal of the Govt, Medical College of the State. | |

The Director shall be appointed for a fixed tenure of 5 years or up to age of 65 years, which ever is earlier:

Provided that outgoing Director shall be eligible for reappointment for another term of five years if he has not attained 65 years of age and on being re-selected shall hold office for a further period of five years or till he attains 65 years of age whichever is earlier.

The Govt. reserves its right to remove the Director in the midst of his tenure on the grounds on which a member of the Board of Governor can be removed as provided in section 7 of the Act.

8. *Saving:*—Notwithstanding any amendment to the Act by the present amending Act. all decisions taken by Board of Governors. Executive council or any of the committees. constituted under the Act shall be valid till such time the Board of Governors notified under section 5 the Act does not modify, alter, rescind or amend it.

By order of the Governor of Bihar,
YOGENDRA PRASAD,
Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 83-571+400



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1930 (श०)

(सं० पटना 428)

पटना, सोमवार, 11 अगस्त 2008

विधि-विभाग

अधिसूचना

11 अगस्त 2008

सं० एल०जी०-1-18/2008/लेज: 146—बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2008]

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2008

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1984 (यथा बिहार अधिनियम 09, 2008 द्वारा संशोधित)
के संशोधन हेतु अधिनियम

प्रस्तावन।-- यतः इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 09, 2008) पारित होने का उद्देश्य इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिये पूर्व प्रवृत्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना था;

यतः, संशोधन अधिनियम में शासक बोर्ड के गठन में आरक्षित वर्ग के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रावधान नहीं हो सका;

यतः शासक बोर्ड के गठन में आरक्षित वर्ग के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाय।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(1) यह अधिनियम इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2008 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 09, 2008 की धारा-3 का संशोधन।- (1) अधिनियम की धारा-3(1) का क्रम सं०-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

(10) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत छह सदस्य जो चिकित्सा सेवा से होंगे, जिसमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति के तथा एक महिला वर्ग के होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

11 अगस्त 2008
सं० एल०जी०-1-18/2008/ 147 लेज—बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated. 7th August, 2008 को अनुमत इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 23, 2008]
The Indira Gandhi Institute Of Medical Sciences
(Amendment) Act, 2008

AN
ACT

To Amend The Indira Gandhi Institute Of Medical Sciences
Act 1984 (As Amended By Bihar Act, 09, 2008)

Preamble—Whereas, Indira Gandhi Institute Of Medical Sciences (Amendment) Act, 2007 (Bihar Act 09, 2008) herein after referred to as the Act has been enacted to make amendment in the existing Act to achieve the objective of the establishment of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences.

And, whereas the representation of reserved category in Board of Governors could not be made by the amended Act.

And, whereas, it is considered necessary to give representation of reserved category in Board of Governors.

And whereas Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty-ninth year of Republic of India as follows:

1 Short Titel and Commencement

- (1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences .(Amendment) Act, 2008.
- (2) It shall come into force at once.

2 Amendment of Section-3 of Bihar Act, 09, 2008- Serial 10 of Section-3 of the Act shall be substituted by the following:—

(10) Six members to be noinated by the State Government from amongst persons of Medical profession out of which at least one member be from Scheduled Caste and one from woman category.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 428-571+400-डी० टी० पी०।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 266) पटना, शुक्रवार, 22 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-01/2019/1516 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 21 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 1, 2019)

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम, 10, 1984)

(यथा समय-समय पर संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना। — यतः, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 द्वारा स्थापित इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का उद्देश्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुसंधान को विकसित करना है; और

यतः, बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा चिकित्सीय सुविधाओं की उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है; और

यतः, अपरिहार्य स्थितियों में, इस संस्थान के निदेशक के कार्यकाल में विस्तार करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।** — (1) यह अधिनियम इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 10, 1984 की धारा 12 में संशोधन।**— अधिनियम की धारा 12 की उपधारा—(1) के अंत में निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जायेगा—

“परन्तु पद छोड़ने वाले निदेशक के कार्यकाल को, अधिकतम एक बार, सरकार द्वारा तीन वर्षों या उसके हिस्से के लिए, किन्तु 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।”

3. **व्यावृत्ति।**— ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 12 के अधीन पूर्व में किए गए कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

22 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-01/2019/1517 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2019 को अनुमत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 1, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 1, 2019)

**THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2019
AN
ACT**

**To amend the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984
(Bihar Act, 10, 1984) (as amended from time to time).**

Preamble- Whereas the object of the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences established by the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984, is to provide high level health and medical facilities and develop continuous education programs and research; and

WHEREAS the Bihar Government is always committed to the progressive development of medical education, research and medical facilities; and

WHEREAS it is necessary and expedient to provide for the power to extend the tenure of the director of this institute in the inevitable situations;

Now, therefore in order to fulfill the above object, amendment in the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984 (as amended from time to time) has become necessary. Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement.*- (1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Science (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Section-12 of Bihar Act, 10, 1984.*- The following new proviso shall be added at the end of subsection (1) of section-12 of the said Act, 1984 :-

"Provided that the term of the outgoing director, maximum one time only, may be extended, by the government for a period of three years or part thereof, but not beyond 65 years of age."

3. *Saving.*- Notwithstanding such amendment, anything done or any action taken previously under section-12 of the said Act, 1984 (as amended from time to time) shall not be affected.

By Order of the Governor of Bihar,
Akhilesh Kumar Jain,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 266-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>